

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग  
कमांक :- प.2(1)साप्र/2/2015 पार्ट जयपुर, दिनांक

27/6/16


-: आदेश :-

श्री आशीष कुमार, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम जिला, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 65/2016 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2031 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या एन-15, गांधीनगर, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम चसे पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है, अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन का कब्जा स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवंटन के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(महेंद्र कुमार खीची)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. श्री आशीष कुमार, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीय नगर जयपुर।
8. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावे।
9. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
11. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।



अनुभागाधिकारी